

19/11/24

पचावली पैरा हुई अधिवक्ता वादी उपस्थित, जल
वादी चुनी गई अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि
राजस्व अधिकारियों की गलती से वादी का
नाम गौपालनाथ के स्थान पर रामगोपाल डल कर
दिया है जो त्रुटि होने योग्य है तद्विलंब
सरकार परोकार ने भी दिनांक 26/2/24 की अपनी
रिपोर्ट में नाम सुद्ध करने की कनिष्ठा की है,
पचावली में संलग्न कथन द्वारा क्या वापस ले
नी यह सिद्ध होता है कि वादी का सही नाम
गौपालनाथ है जल अधिवक्ता एवं जवाब सरकार

(अंजना सुहरावती)
उपखण्ड अधिकारी अन्ना
जिला वारा (राजठ)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख व हुकम

तथा संलग्न दस्तावेजात हे काद्या पर दावा
 डिडी छिरे जने योग्य छाने जे डिडी छिजा जाना छी
 तद्वलीमदार कंता बी कादेश दिह जाते छी छि
 ग्राम कंता तद्वलीम कंता फिल्ल बारां राजवडी
 कारागी खाना रू 63 खरनरा न० 156/ रकबा
 1.42 हेक्टर छिजा 1 कुल रकबा 1.42 हेक्टर छी
 मे कादी छे 1/4 इप दिहिन मे कादी का नमि
 रामगोपाल के स्थान पर रामगोपाल इप
 छिजा जाते डिडी पची धुपड ले जारी छी
 त्रिणीम सर इमलान पड्डर हुनाम राज
 पठावली फिल्ल हुनाम इप नम्बर ले कछटा

(अंजना सहरावत)
 उपखण्ड अधिकारी अन्ता
 जिला बारां (राज०)